न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
राजूसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति पुरोहित निवासी झाडोलीवीर तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिकमाराम गहलोत

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 43/2025

–:आदेश:– **दिनांक 02.12.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा झाडोलीवीर, पटवार हल्का झाडोलीवीर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 519 में वर्णित खसरा संख्या 386 में रकबा 16.2198 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 636 में रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अन्य खातेदारों के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता चुन्नीलाल पुत्र छोगाजी पुरोहित का स्वर्गवास हो जाने से उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का उत्तराधिकारी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम से दर्ज करवाने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कृषि आराजी का नामान्तरकरण प्रार्थी के गलत नाम/ घरेलू नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज कर दिया गया था। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजूसिंह पुत्र चुन्नीलाल हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों से होती हैं। राजूसिंह पुत्र चुन्नीलाल व राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल दोनो एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम अंकित किये जाने की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, बैंक से ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने से उक्त शुद्धिकरण हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मौजा झाडोलीवीर, पटवार हल्का झाडोलीवीर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 519 में वर्णित खसरा संख्या 386 में रकबा 16.2198 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 636 में रकबा 0.1619 हैक्टेयर की भूमि में राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर राजूसिंह पुत्र चुन्नीलाल दर्ज कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध करने की कृपा करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से जवाब चाहा गया। तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक कोर्ट/2025/741 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 386 व 636 में राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल दर्ज हैं। आवेदक के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व राशनकार्ड में राजुसिंह पुत्र चुन्नीलाल दर्ज हैं। इसी आधार पर प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में राजुसिंह पुत्र चुन्नीलाल दर्ज करवाना चाह रहा हैं। संयुक्त खातेदार व अन्य मौतबिराज ने भी यह जाहिर किया कि राजेन्द्र कुमार व राजुसिंह दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः इसका नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजुसिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थी के नाम शुद्धी के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 06.08.2025 को अन्य सह खातेदारान का शपथ पत्र पेश किया तथा दिनांक 14.10.2025 को सह खातेदार भेराराम का शपथपत्र प्रस्तुत करने पर इसी दिन इनके बयान लिये गये व ग्राम पंचायत झाडोलीवर का प्रमाण पत्र पेश किया। दिनांक 28.11.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्र0सं0–43/2025
राजूसिंह बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, बयान, ग्राम पंचायत झाडोलीवीर का प्रमाण पत्र व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन व उस पर गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार व राजुसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। जिनका वादग्रस्त जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा झाडोलीवीर, पटवार हल्का झाडोलीवीर**, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 519 में वर्णित खसरा संख्या 386 में रकबा 16.2198 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 636 में रकबा 0.1619 हैक्टेयर की भूमि में **राजेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल** के स्थान पर **राजूसिंह पुत्र चुन्नीलाल** नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, **R.A.S**)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 02–12–2025

क्रमांकः–कोर्ट/2025/ 664
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)